तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 7119 / 2006 / दौसा** **कजोड बनाम मूलचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2019	**एकल पीठ** श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य **उपस्थितिः–** श्री समीर अहमद, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 सहपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 39/2005 शीर्षक "कजोड बनाम मूलचन्द" में पारित आदेश दिनांक 08.08. 2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या–1 की ओर से जिला कलक्टर, दौसा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2015/0.58 है0 प्रार्थी के पक्ष में करीब 35–40 वर्ष पूर्व आवंटन किया गया है जिस पर अप्रार्थीगण/निगराकारान द्वारा दिनांक 26.06.2005 को प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या–1 को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया है। अतः बेदखल कर प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या–1 को कब्जा दिलाया जाए। प्रकरण को धारा 183–बी के तहत दर्ज किया गया और तहसीलदार, दौसा ने आदेश दिनांक 29–10–2005 से प्रश्नगत आराजी पर से अप्रार्थीगणों/निगराकारान द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश के विरुद्ध निगराकारान की ओर से अपील प्रस्तुत करने पर अति0 जिला कलक्टर, दौसा ने आक्षेपित आदेश दिनांक 08–08–2006 से अपील को खारिज किया है। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 31–8–2005 पर आधारित हो कर प्रकरण को धारा 183–बी के तहत दर्ज किया गया और प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए जबाब पर किसी प्रकार का विचार किए बिना निर्णय दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 7119 / 2006 / दौसा** **कजोड बनाम मूलचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29.10.2005 से बदेखली के आदेश पारित किए हैं। योग्य अधिवक्ता का बहस में तर्क रहा है कि प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 31–8–2005, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 5–9–2005 से पूर्व की है, अतः इस रिपोर्ट को धारा 183–बी की कार्यवाही का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए था। धारा 183 के तहत 12 वर्ष की मियाद निर्धारित है किन्तु प्रार्थी/गैर निगराकार की ओर से इस निर्धारित मियाद सीमा के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार ने आदेश पारित करने से पूर्व इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि गैर निगराकार की ओर से प्रार्थीगण के विरुद्ध नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है और यह विचाराधीन है। अतः नियमित वाद विचाराधीन होने से धारा 183 की समरी कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए था। अप्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है जो कि वर्तमान कार्यवाही से भी सुस्पष्ट है और इसके विपरीत उपजिला कलक्टर के समक्ष स्वयं का कब्जा बताते हुये धारा 188 के तहत वादपत्र दायर किया गया है जो अपने आप में ही विरोधाभाषी है। अप्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, अतः उसे किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान नहीं की जा सकती है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों में अनियमितता होने से निगरानी स्वीकार कर इन निर्णयों को निरस्त किया जाये। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि धारा 230 के तहत निगरानी का सीमित दायरा होता है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णया में तात्विक अनियमितता होने या क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने की स्थिति में ही निगरानी के माध्यम से इनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कि प्रश्नगत प्रकरण में स्पष्ट रुप से साबित है कि अनु0 जाति के व्यक्ति की आराजी पर गैर अनु0 जाति के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है जो कि स्पष्ट रुप से धारा 183–बी की कार्यवाही की परिधि में आता है। अतः तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही नियमों के परिप्रेक्ष्य में है जिसकी अपील में पुष्टि करने में अति0 जिला कलक्टर ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप उचित नही होने से निगरानी को खारिज किया जाये। योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2015/0.58 है0 मूलचन्द पुत्र शंकर जाति बैरवा की खातेदारी में अंकित है जो कि अनु0 जाति वर्ग में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 7119 / 2006 / दौसा** **कजोड बनाम मूलचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आता है। वर्तमान प्रार्थीगण अनु0 जाति के व्यक्ति नहीं हैं और उनके द्वारा अनु0 जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिचार किया गया है अतः इस प्रकार की स्थिति में धारा 183–बी की संक्षिप्ति कार्यवाही के तहत अतिक्रमी को बेदखल किया जाने का प्रावधान है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खसरा नम्बर 2015/0.58 है0 के आंशिक भाग पर महादेव पुत्र झूँथा रैगर एवं आंशिक भाग पर कजोड पुत्र कालू जाति मीना का कब्जा काश्त होना अंकित किया गया है। प्रार्थीगण का यह कब्जा विधिपूर्ण प्राधिकार के तहत नहीं है बल्कि अतिचारी के रुप में है। इस प्रकार की स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के तहत विधिक रुप से प्रकरण को दर्ज कर उसे नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका देते हुये आदेश दिनांक 29–10–2005 पारित किया है और इस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अति0 जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2006 से अपील को विधिसम्मत रुप से खारिज किया गया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं, जिनमें किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है और निगरानी के माध्यम से इन आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फलतः यह निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	